

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष-91-0755-2583659 फेक्स- 91-0755-2583659
ई-मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रमांक/विद्या/पी/परीक्षा 9,11वीं/बोर्डपेटर्न/09-10//80 भोपाल,दिनांक 17.02.2010
प्रति, 18.02.2010

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :-कक्षा 9वीं एवं 11 वीं की वार्षिक परीक्षा 2010 के मूल्यांकन विषयक।

संदर्भ :-संचालनालय का पत्र क्रमांक/विद्या/पी/परीक्षा/कक्षा 9 वीं एवं 11वीं/बोर्डपेटर्न
/2009-10/138, दिनांक 04.02.2010।

उपरोक्त विषय मे आपको विदित है कि दिनांक 03.03.2010 से कक्षा 11 वीं एवं 06.03.2010 से कक्षा 9 वीं की परीक्षाएँ प्रारंभ होने जा रही है। इस संबंध में संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों का भलीभाँति अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें। इस वर्ष 9 वीं एवं 11 वीं कक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन विकासखण्ड स्तर पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एकत्र कर मूल्यांकन हेतु विकासखण्ड स्थित विद्यालयों में पुनर्वितरण किया जाना है। इसकी विस्तृत प्रक्रियाँ निम्नानुसार रहेगी :-

1. प्रत्येक विकासखण्ड में स्थित उ.मा.विद्यालय के प्राचार्य अपने विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले संकुलों से विषयवार मूल्यांकनकर्ताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे।
2. परीक्षा के दौरान ही प्रत्येक प्रश्न-पत्र समाप्ति के अगले दिवस से ही संकुल स्तर पर मूल्यांकन का कार्य अनिवार्यतः प्रारंभ करें।
3. विकासखण्ड मुख्यालय पर समस्त संकुलों द्वारा प्रत्येक प्रश्नपत्र की समाप्ति के बाद उस प्रश्नपत्र की उत्तर-पुस्तिकाएँ विकासखण्ड के उत्कृष्ट विद्यालय में जमा की जायेगी।
4. परीक्षा के बाद ही से उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य द्वारा एक संकुल की उत्तरपुस्तिकाएँ दूसरे संकुल को दी जावेगी। यह क्रम प्रतिदिन जारी रहेगा। इस हेतु पूर्व तैयारी की जाये।
5. संकुलों को वितरित की जाने वाली उत्तरपुस्तिकाओं की गोपनीयता का उत्तरदायित्व संबंधित उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य का संयुक्त रूप से होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि संस्थाओं में उत्तरपुस्तिकाओं की परस्पर अदलाबदली न हों।
6. संकुलों को दी जाने वाली उत्तरपुस्तिकाओं के साथ-साथ संबंधित संस्थाओं के नामिनल रोल भी उत्कृष्ट विद्यालय द्वारा संकुल प्राचार्यों को दिये जावेंगे।

7. इन नॉमिनल रोल में उल्लेखित समस्त परीक्षार्थियों के त्रैमासिक एवं अर्द्ध वार्षिक परीक्षाओं में अर्जित किये गये प्राप्तांक तथा 10 प्रतिशत वेटेज (अधिभार) का लाभ के अंक पूर्व से उल्लेखित रहेंगे।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य का यह उत्तरदायित्व रहेगा कि, जिस विषय का मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया हो, उसके पूर्ण एवं प्रतिपूर्ण साथ-साथ तैयार करवाये।
9. मूल्यांकन के उपरान्त पूर्ण सील्ड कर उत्कृष्ट विद्यालय में जमा किये जाये एवं प्रतिपूर्ण के आधार पर नामिनल-रोल में विद्यार्थी के प्राप्तांकों को लिखा जायेगा।
10. जिन संस्थाओं की उत्तर-पुस्तिकाएँ मूल्यांकन हेतु संकुल प्राचार्य को दी गई हैं, उसकी गोपनीयता भंग होने के लिये संबंधित प्राचार्य एवं मूल्यांकनकर्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहेंगे।
11. मूल्यांकन कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसका नामिनल रोल के अंका को प्रतिपूर्ण से मिलान एक बार पुनः सूक्ष्मता से परीक्षण संकुल प्राचार्य करायेगें। यदि उसमें कोई परिवर्तन पाया जाता है तो, उत्तरपुस्तिका से मिलान कर, सही किया जाये। इस परीक्षण के बाद नामिनल रोल, तथा प्रतिपूर्ण पर अलग-अलग अपने हस्ताक्षर तथा परीक्षण हेतु गठित समिति के हस्ताक्षर करवाकर, विकासखण्ड के उत्कृष्ट प्राचार्य उ. मा.वि. को सौपेंगे।
12. उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य अपनी गठित परीक्षण समिति से एक बार पुनः पूर्ण के आधार पर नामिनल रोल का परीक्षण करावेगे तथा समिति नामिनल रोल पर अपने हस्ताक्षर करेगी।
13. उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य परीक्षण से संतुष्ट होने के बाद नामिनल रोल प्रमाणित कर, संबंधित संस्था को सौपेंगे।
14. संस्था के प्राचार्य अपने नामिनल रोल के अनुसार शाला के परीक्षार्थियों की अंक सूचियाँ तैयार करेगें, तत्पश्चात दिनांक 31 मार्च 2010 को सायं 04:00 बजे परीक्षा परिणाम घोषित करेगें।
15. संस्था प्राचार्य परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर जो पुनर्गणना के आवेदन संस्था में लिये जायेगें, उन्हें संबंधित विकासखण्ड के उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत किये जायेगें। तत्पश्चात उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य विषयवार पुनर्गणना के लिये समितियों का गठन कर, पुनर्गणना का कार्य करायेगे। निर्धारित समय के पश्चात पुनर्गणना के आवेदन पर कार्यवाही नहीं होगी।
16. उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य पुनर्गणना समिति द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित संस्थाओं को उनके परिणाम से अवगत करायेगें। परिणाम की जानकारी संबंधित छात्र/पालक को भी दी जायेगी।
17. पुनर्गणना के परिणाम घोषित करने के पश्चात संबंधित संस्थाओं की सम्पूर्ण उत्तर पुस्तिकाएँ उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य द्वारा संबंधित संस्था प्राचार्य को उपलब्ध करा दी जायेगी।
18. उत्तरपुस्तिकाएँ शिक्षको को घर पर मूल्यांकन के कदापि न दी जाए। मूल्यांकन कार्य प्राचार्य की निगरानी में संस्था स्थल पर ही कराया जाये।

मूल्यांकन हेतु निर्धारित तिथिवार कार्यक्रम :-

1. दिनांक 04.03.2010 से मूल्यांकन प्रारंभ किया जावे।
2. दिनांक 29.03.2010 तक संकुल स्तर पर मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया जाये।


Letter for valuation

15

3. दिनांक 29.03.2010 को समस्त संकुलों से उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय में परीक्षा परिणाम के मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएँ, पर्ण, प्रतिपर्ण एवं नामिनल रोल गोपनीय रूप से लिफाफों में बंद कर, जमा करावेगे।
4. दिनांक 30.03.2010 तक उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालयों के प्राचार्य के द्वारा परीक्षा परिणाम प्रमाणित कर, संबंधित संस्थाओं को सौंपा जाये।
5. दिनांक 30.03.2010 को संलग्न प्रारूप पर विकासखण्ड का एकजाई परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य द्वारा जिला एवं संभाग स्तर पर दूरभाष से नोट करवाना एवं भेजना।
6. दिनांक 31 मार्च 2010 तक संबंधित संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों की अंकसूचियाँ तैयार करना।
7. दिनांक 31 मार्च 2010 को प्राचार्य द्वारा परिणाम सायं 4 बजे घोषित करना।
8. प्राचार्य दिनांक 15 अप्रैल 2010 तक संस्थाओं द्वारा पुनर्गणना के आवेदन प्राप्त करना।
9. संस्था प्राचार्य दिनांक 17 अप्रैल 2010 तक संकलित पुनर्गणना आवेदन पत्र प्राचार्य उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय को सौंपेंगे।
10. प्राचार्य उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय दिनांक 19 से 21 अप्रैल 2010 तक प्राप्त आवेदनों की उत्तर पुस्तिकाओं का समिति द्वारा पुनर्गणना कार्य पूर्ण करावायेगें।
11. उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य द्वारा 22 अप्रैल 2010 तक पुनर्गणना परिणाम से संबंधित संस्थाओं को अवगत कराना।
12. संस्था प्राचार्य द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2010 तक संबंधित शालाओं द्वारा विद्यार्थियों को परिणाम से अवगत कराना।


संभागीय संयुक्त संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी उक्तानुसार कार्यक्रम एवं निर्देश जिले के समस्त संकुल प्राचार्यों को भेजेगें। तथा समय सीमा में संपूर्ण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित करेगें।

संलग्न :- परीक्षा परिणाम का प्रारूप


 (डॉ. अवध किशोर मिश्रा)
 संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्र/विद्या/पी/परीक्षा 9,11वीं/बोर्डपेटर्न/09-10/181 भोपाल, दिनांक 17.02.2010
 प्रतिलिपि :- 18.02.2010

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा की ओर उनकी नोटशीट क्रमांक 286/मं./स्कूल शिक्षा/2010, दिनांक 15.02.2010 में दिये गये निर्देशों तथा दिनांक 16.02.2010 को वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के अवसर पर दिये गये निर्देश के परिपालन में सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सादर प्रेषित।


 संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

K

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं का परीक्षा परिणाम 2010

(4)

जिले का नाम :-

विकासखण्ड का नाम

कक्षा	दर्ज संख्या			परीक्षा में सम्मिलित छात्र संख्या			उत्तीर्ण संख्या			अनुत्तीर्ण संख्या			श्रेणीवार संख्या			उत्तीर्ण का प्रतिशत	पूरक संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	प्रथम	द्वितीय	तृतीय		बालक	बालिका	योग
कक्षा 9 वी																			
कक्षा 11वीं संपूर्ण																			
कक्षा 11वीं विज्ञान समूह																			
कक्षा 11वीं कला समूह																			
कक्षा 11वीं वाणिज्य समूह																			
कक्षा 11वीं ललित कला समूह																			
कक्षा 11वीं कृषि समूह																			
कक्षा 11वीं गृह विज्ञान समूह																			
कक्षा 11वीं भाषा समूह																			
कक्षा 11वीं व्यावसायिक शिक्षा																			

हस्ताक्षर
प्राचार्य, शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.....